



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-712-अ0प्र0-07/पाकालि/18-42-अ0प्र0-07/17

दिनांक 26/02/2018

कार्यालय ज्ञाप

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत निम्नांकित अवर अभियन्ताओं (वैद्युत एवं यांत्रिक) को प्रोन्नति कोटा के अन्तर्गत उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी एवं स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश सं0-485-ए-आर/राविपि-01-28-एआर/89, दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे :-

क्र0 सं0	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम वर्ग/ट्रेड/जन्मतिथि/ गृह जनपद/वरिष्ठता क्रमांक सर्वश्री/सुश्री	अवर अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती स्थान	सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति पश्चात तैनाती हेतु आवंटित डिस्कॉम/इकाई	आवंटित अभिज्ञान सं0
1	2	3	4	5
40 प्रतिशत प्रोन्नति कोटा				
1	अमित कुमार चतुर्वेदी/दिवाकर चतुर्वेदी सामान्य/वि0/07.09.86/ देवरिया/9728	वि0न0वि0खं0- लेसा लखनऊ	उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मुख्यालय) {सम्बद्ध, निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)}	2017454
2	अच्छे लाल/बासदेव पिछड़ी जाति/वि0/01.01.80/ महाराजगंज/9732	वि0न0वि0खं0- गोरखपुर	उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मुख्यालय) {सम्बद्ध, निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)}	2017457
3	सत्येन्द्र कुमार/चन्द्रभान अनु0 जाति/वि0/05.09.73/ आगरा/9741	ई0डी0डी0- मथुरा-तृतीय	उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मुख्यालय) {सम्बद्ध, निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)}	2017464
4	सुरेश चन्द्र/जगदीश नारायण अनु0 जाति/वि0/09.07.82/ दिल्ली/9756	वि0वि0खं0- गढ़मुक्तेश्वर,	उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मुख्यालय) {सम्बद्ध, निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)}	2017476
5	मनोज कुमार गुप्ता/राम प्रकाश गुप्ता सामान्य/वि0/08.02.82/कानपुर/9767	वि0 कार्य0खं0 -झांसी	उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मुख्यालय) {सम्बद्ध, निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)}	2017483
6	मनीष कुमार राय/जीतेन्द्र नाथ राय सामान्य/वि0/13.07.84/ गाजीपुर/9778	वि0न0वि0खं0- प्रथम, वाराणसी	उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मुख्यालय) {सम्बद्ध, निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)}	2017491
7	पूजा वर्मा/जयराम वर्मा पिछड़ी जाति/वि0/30.06.86/ बलिया/9779	वि0पा0खं0-प्रथम, गाजियाबाद	उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मुख्यालय) {सम्बद्ध, निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)}	2017492
8.33 प्रतिशत प्रोन्नति कोटा				
1	प्रदीप कुमार/रिछपाल सिंह अनु0 जाति/वि0/02.07.78/ मेरठ/10098	वि0न0वि0मं -नोएडा	उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मुख्यालय) {सम्बद्ध, निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)}	2017532
2	परवेज आलम/इस्लामुद्दीन पिछड़ी जाति/वि0/26.01.80/मुजफ्फरनगर/10107	वि0पा0मं0 -मेरठ	उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मुख्यालय) {सम्बद्ध, निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)}	2017534
3	अमित कुमार गुप्ता/कृष्ण कान्त गुप्ता पिछड़ी जाति/वि0/17.02.73/ गाजीपुर/10150	वि0न0वि0मं0-प्रथम इलाहाबाद	उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 (मुख्यालय) {सम्बद्ध, निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)}	2017539

2. "यह प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं0-60876/2013 एवं समविषयक योजित अन्य याचिकाओं में पारित अन्तिम निर्णय के प्रतिबन्धाधीन है।"
3. सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक/मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ताओं के नियंत्रक अधिकारी उन्हें वर्तमान कार्यभार से कार्यमुक्त करने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें :-
 - (क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयंत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
 - (ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।
 - (ग) अवर अभियन्ता के विरुद्ध विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो उसकी नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।

(Handwritten signature)

4. अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति उपरान्त जिन अभियन्ताओं का डिस्कॉम परिवर्तन नहीं हुआ है उनकी तैनाती हेतु यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रोन्नति के उपरान्त उनकी उस जोन में तैनाती न हो जिस जोन में वह वर्तमान में कार्यरत हैं, साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाय कि प्रोन्नति उपरान्त उनकी तैनाती ऐसे जोन में भी न की जाय जहां वह पूर्व में 03 वर्ष कार्य कर चुके हों।
5. उक्त प्रोन्नत अवर अभियन्ता प्रोन्नति आदेश निर्गत होने से एक माह के भीतर अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। एक माह के भीतर कार्यभार ग्रहण न करने वाले उक्त अवर अभियन्ता के विषय में यह मानते हुए कि वह प्रोन्नति लेने में इच्छुक नहीं हैं, कारपोरेशन स्तर से अग्रेतर कार्यवाही कर दी जायेगी।
6. सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त सहायक अभियन्ता (प्रोन्नत) की तैनाती उ0प्र0पा0का0लि0 में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति एवं जनहित याचिका सं0-79/1997 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
7. प्रोन्नत अधिकारी को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।
8. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन प्रस्तुत कर चुका हो।

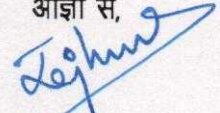
प्रबन्ध निदेशक

संख्या :-712-अ0प्र0-07/पाकालि/2018/तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पश्चिमांचल/पूर्वांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/मेरठ/वाराणसी/आगरा एवं केस्को, कानपुर।
7. मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण-प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करें।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उप सचिव (अ0प्र0-03/04/गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. अनुभाग अधिकारी (अ0प्र0-03/04), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
14. संबंधित अधिकारीगण।
15. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,



(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप सचिव (07)

अ